

— प्रा. ए. एस. —

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 06/04/2026

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल ^{आर.ए.एस.} उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क.	वादी सं. 1 जगदीश प्रसाद को घरु बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	11 एमडब्ल्यूएम	116/366	11/2/.202, 12/.2391, 19/1/.1867, 22/.0665	0.6943 हैक्.
ख.	वादी सं. 2 सत्यनारायण को घरु बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	11 एमडब्ल्यूएम	116/366	1/2/.048, 2/.053 द. 9/.253, 10/2/.228, 11/2/.011, 12/.013 22/.0843	0.6903 हैक्.
ग.	वादी सं. 3 साहबराम को घरु बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	11 एमडब्ल्यूएम	116/366	1/2/.180, 2/.200 उ. 22/.0665	0.4465 हैक्.
	12 एमडब्ल्यूएम	115/366	1	0.253 हैक्.
घ.	वादीगण को ब.हि.ब. घरु बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	11 एमडब्ल्यूएम	116/366	11/2/.014 द., 12/.0009 द.प.कोना 19/1/.0153 प, 22/.0357 उ.	0.0659 हैक्.

3
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़